...ालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...पत्र संख्या :—15/2024 दायर दिनांक—: 8.11.2024

...MS NO:- 2024/283 पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती प्रीति मीणा

भंवरलाल आ0 सुवालाल जाति मीणा नि0 खेरूणा तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्रः— अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट</u>

उपस्थितिः—
प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री महावीर कारपेन्टर।

निर्णय दिनांक 11.06.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम खेरूणा तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 97 की भूमि खसरा नम्बर 1072/562 रकबा 0.2427 हैक्टयर भूमि एवं खाता संख्या 98 की भूमि खसरा नम्बर 262 रकबा 0.3802 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार स्वामी है तथा काबिज काश्त होकर फसल बोता व काटता चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थी गरीब असहाय व्यक्ति तथा सरल स्वभाव का होने से प्रार्थी को आस पडौस के खातेदार आये दिन भूमि के सीमांकन को लेकर विवाद करते है तथा प्रार्थी को भूमि को हांकने व जोतने नही देते है। प्रार्थी के सीमाज्ञान के आवेदन पत्र पटवारी हल्का ने सीमाज्ञान करने से यह अंकित कर मना कर दिया कि प्रार्थी सक्षम न्यायालय से वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, सीमाज्ञान आवेदन की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमे प्रार्थी की संपूर्ण भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नही होना बताया है। बहस सूनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खेरूणा तहसील नैनवॉ मे स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 97 की भूमि खसरा नम्बर 1072/562 रकबा 0.2427 हैक्टयर भूमि एवं खाता संख्या 98 की भूमि खसरा नम्बर 262 रकबा 0.3802 हैक्टयर की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान के आवेदन पत्र मे भी प्रार्थी का कब्जा नही होना अंकित है तथा तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे भी प्रार्थी का संपूर्ण भूमि पर कब्जा नही होना अवगत कराया अतः कब्जा नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा